व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2016–17

हमारे विषय में

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एमएमटीसी एक प्रमुख अतंर्राष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1 स्कोप काम्पेलेक्स–7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। भारत के प्रमुख शहरों एवं बंदरगाहों पर निगम के 09 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर भी है।

खनिजों का निर्यात और कीमती धातु, अलौह धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोल व हाइड्रोकार्बन आदि का आयात कंपनी के प्रमुख कार्यकलाप है। एमएमटीसी द्वारा इंजिनियरिंग उत्पाद तथा ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स उत्पादों का भी व्यापार किया जाता है।

कंपनी के व्यापारिक कार्यकलाप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, के देशों में फैले हुए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला उपक्रम है जिसे निर्यात में अपने दीर्घकालिक योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 'फाईव स्टार एक्सपोर्ट हाउस' का दर्जा दिया गया है।

मुक्त वातावरण में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के उदेद्श्य से एमएमटीसी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूट को अपनाते हुए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एमएमटीसी पैम्प, एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड, टी एन माईनिंग कम्पनी लिमिटेड, सिकाल लौह अयस्क ट्रर्मिनल लिमिटेड, फ्री ट्रेड, वेयरहाउसिंग प्रा. लि. तथा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड आदि जैसे विभिन्न संयुक्त उपक्रमों को प्रोन्नत किया है।

कारपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयर होल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ–साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा टिकाऊ एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार (बल्क) के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा नियोजित पूंजी से समुचित लाभ में वृद्धि करना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थाान को बनाए रखना।
- व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना।
- मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगो को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता व कुशलता के साथ उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना।
- वाणिज्यि विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना।

व्यापार दायित्व रिपोर्ट – वित्त वर्ष 2016–17

वर्ष 2012 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(सेबी) द्वारा आरंभ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 55 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शीर्ष सौ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक व्यापार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) अनिवार्य कर दी गई है। यद्यपि इस वर्ष एमएमटीसी शीर्ष सौ कंपनियों की सूची में नहीं है फिर भी हम अपनी वार्षिक बीआरआर प्रकाशित कर रहे हैं।

खण्ड क: कंपनी के बारे में सूचना

1. कंपनी का कारपोरेट आईडेंटिटी नम्बर (सीआईएन)
   एल 51909डीएल1963जी01004033
2. कंपनी का नाम
   एमएमटीसी लिमिटेड
3. पंजीकृत पता
   कोर – 1, स्कोप काम्पलेक्स
   7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड
   नई दिल्ली – 110003
4. वेबसाइट
   www.mmtclimited.com
5. ई मेल आईडी
   mmtc@mmtclimited.com
6. रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष
   2016–17
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड वार)
   ट्रेडिंग
8. तीन प्रमुख उत्पांदों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी निर्माण करती है या उपलब्धं कराती है। (तुलन पत्र के अनुसार)

(i) स्वर्ण
(ii) यूरिया
(iii) चांदी

9. ऐसे स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण दें)

1. सिंगापुर में एक सहायक कंपनी

(ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

भारत में 09 क्षेत्रीय कार्यालय

10. निगम द्वारा जिन बाजारों में आपूर्ति की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय

एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका

खण्ड ख: कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (आइएनआर)	**100 करोड़**
2.	कुल कारोबार(आईएनआर)	**11593.42 करोड़**
3.	करोपरांत कुल लाभ 2015–16(आईएनआर)	**57.06 करोड़**
4.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल बजटीय व्यय (प्रतिशत)	वर्ष 2016–17 के दौरान 81.41 लाख रुपए की राशि सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित की गई जोकि पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत के बराबर है
5.	उपर्युक्त 4 में से जिन कार्यकलापों पर खर्च किया गया उसकी सूची।	वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित फंड स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन गंगा मिशन, स्किल इण्डिया मिशन, हैल्थ केयर तथा योग के उत्थान तथा खेल कूल/पैरा स्पोर्टस को प्रोन्नोत करने पर खर्च किया गया। इसके अलावा एमएमटीसी ने दिव्यांगों में आर्टिफिसियल लिम्ब तथा सहायक उपकरण बांटने में भी योगदान दिया।

खण्ड ग: अन्य विवरण

1 क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं
जी हां, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (विदेश में सहायक कंपनी)
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें।
नहीं

2. क्या कोई अन्य व्यक्ति (उदाहरणार्थ आपूर्तिकर्त्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेते हैं यदि हां तो उक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता को इंगित करें (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत तक, 60 प्रतिशत से अधिक)

नहीं

खण्ड घ : बी आर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

- डीआईएन संख्या 07696766
- नाम श्री टी.के. सेनगुप्ता
- पदनाम निदेशक(कार्मिक)

ख. बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	
2.	नाम	वी. के. पाण्डेय
3.	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक(कार्मिक)
4.	टेलीफोन न.	011–24381256
5.	ई मेल आई डी	vkp@mmtclimited.com

2. **सिद्धांतवार (एनपीजी अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हॉ/नहीं में उत्तर दें)**

सिद्धांत 1 नीतिपरक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बिजनेस संचालित किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 2 बिजनेस को ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जो सुरक्षित होने के साथ–साथ अपने जीवन चक्र के दौरान स्थाई बनी रहें।

सिद्धांत 3 बिजनेस को सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 4 बिजनेस को सभी स्टेकहोल्डर्स, विशेषकर पिछड़े कमजोर एवं अधिकारहीन आदि के हितों के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह होना चाहिए।

सिद्धांत 5 बिजनेस को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए एवं उन्हें प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 6 बिजनेस को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा एवं बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

सिद्धांत 7 जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करते समय बिजनेस को जिम्मेंदार तरीके से कार्य करना होगा।

सिद्धांत 8 बिजनेस को वृद्धि एवं समान विकास को प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 9 बिजनेस को अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार रूप से व्यवहार करते हुए उन्हें सम्मान देना चाहिए।

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास..... के लिए नीति/ नीतियां है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या संबंधित स्टेकहोल्डरों से परामर्श करके नीति बनाई गई	हां		हां	हां	हां			हां	
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है यदि हां तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में)	नहीं		नहीं	हां	हां			हां	
4.	क्या बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हां तो क्या यह एमडी/मालिक/ सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां		हां	हां	हां			हां	
5.	नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए क्या कंपनी में निदेशक मण्डल को विशिष्ट समिति/निदेशक/ कर्मचारी हैं?	हां		हां	हां	हां			हां	
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए क्या लिंक है?	www. mmtclimited. com		www. mmtclimited. com						
7.	क्या नीति आंतरिक व बाह्य सभी स्टेकहोल्डरों को विधिवत बताई गई है।	हां		हां	हां	हां			हां	
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों को लागू करने के लिए इन–हाउस स्ट्रक्चर है।	हां		हां	हां	हां			हां	
9.	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/ नीतियों से संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण व्यवस्था है।	हां		हां	हां	हां			हां	
10.	क्या कंपनी ने इस नीति को सुचारू रूप से काम करने के लिए किसी आंतरिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आडिट/मूल्यांकन करवाया है।	नहीं		नहीं		हां				

2ए. यदि क्र.सं. 1 के लिए किसी भी सिद्धान्त का उत्तर नहीं में है तो कृपया उल्लेख करें कि उत्तर क्यों नहीं है (कालम 2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर बनाई गई नीतियों को बनाकर लागू कर सकें।		✓					✓		
3.	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय अथवा श्रम शक्ति के स्रोत उपलब्ध नहीं है।									
4.	ऐसा अगले छः महीनों में कर लेने की योजना है।									
5.	ऐसा अगले एक वर्ष में कर लेने की योजना है।									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. **बी आर से संबंधित सुशासन (गवर्नेंस)**

कृपया यह बताएं कि निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस अंतराल पर कंपनी की बीआर परफारमेंस का जायजा लेते हैं। 3 मास की अवधि में, 3–6 मास की अवधि में, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि में।

एमएमटीसी का बोर्ड नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में बैठक करता है। बोर्ड की बैठकों में स्ट्रक्चर एजेंडा पर चर्चा होती है। सभी बड़े मामलों के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ एजेंडा का विस्तार से उल्लेख करते हुए कागजात पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं जिससे कि बोर्ड मामले पर समुचित तथा स्वतंत्र निर्णय ले सकें।

कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचारार्थ तथा सही दिशा में निर्णय लेने के लिए बोर्ड ने विशेष भूमिका, दायित्व तथा शक्तियों से निहित विभिन्न समितियों का गठन किया है। शीर्ष प्रबंधन प्रत्येक तिमाही में होने वाली बैठक में संगठन के निष्पादन की पुनरीक्षा करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान एमएमटीसी के प्रबंधतंत्र ने निम्नलिखित पर विचार विमर्श एवं पुनरीक्षा की।

- कारपोरेट योजना/एमओसी एण्डी आई के साथ मसौदा एमओयू
- एचआर से संबंधित मामले
- संयुक्त उद्यमों में निवेश
- एनआईएनएल से संबंधित मामले
- वार्षिक बजट
- शेयर के मूल्य तथा एमएमटीसी का शेयरधारिता पेटर्न
- अधिशेष निधियों के उपयोग की स्थिति
- वित्तीय विवरणों/परिणामों को मंजूरी
- वर्ष 2016–17 के लिए सीएसआर/बीबीआर पर वार्षिक रिपोर्ट
- सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन

क्या कंपनी बीआरआर अथवा सस्टेनेबलटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कौन सा हाइपर लिंक उपलब्ध है? यह रिपोर्ट कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है?

सेबी के आदेश (मैनडेट) के अनुसार मार्किट कैपिटल के आधार पर 100 शीर्ष कंपनियों को बीआरआर तैयार करनी होती है। वर्ष 2012–13 के लिए एमएमटीसी ने अपनी पहली बीआरआर तैयार की थी। बीआरआर वार्षिक रिपोर्ट का भाग होती है तथा इसे आफिशियल वेबसाइट www.mmtclimited.com पर देखा जा सकता है।

इस तथ्य पर विचार किए बिना कि एमएमटीसी शीर्ष 100 की सूची में है अथवा नहीं है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एमएमटीसी बीआरआर का निरंतर प्रकाशन कर रही है जो इसने वर्ष 2012–13 के दौरान आरंभ किया था।

संगठन यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कोम्पैक्ट नेटवर्क का सदस्य भी है तथा वार्षिक आधार पर कम्यूनिकेशन आन प्रोग्रेस (सीओपी) जारी करता है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर हमारे सभी स्टेकहोल्डरों के लिए उपलब्ध है।

खण्ड इ– सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1 – व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही की नीतियों पर आधारित हो।

1. क्या नैतिकता, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है?

जी हां। कंपनी का नैतिक आचार विभिन्न नीति पहलों में परिलक्षित होता है। यद्यपि कर्मचारियों के आचार, अनुशासन व अपील नियमों के अधीन संगठन के सभी स्तर के कर्मचारी आते हैं फिर भी वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) के आचार को संचालित करने के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल

तथा वरिष्ठ प्रबधन के लिए व्यापारिक आचार एवं नीतियों की संहिता के रूप में अलग से दिशा निर्देश हैं। सत्यनिष्ठा, पैक्ट, व्हिसल ब्लोअर नीति तथा सिटीजन चार्टर को भी क्रियाशील बनाया गया है।

क्या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/सप्लायरों/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी लागू होता है।

जी हां, इंटिग्रेटी पैक्ट, सिटीजन चार्टर कवर, सप्लायरों, ठेकेदारों आदि पर भी लागू होता है जबकि आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्टर) तथा व्हिसल ब्लोअर नीतियां केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए है।

2. पिछले वित्त वर्ष में स्टेक होल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा कितने प्रतिशत निपटान प्रबंधतंत्र द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया? यदि कुछ है तो उसका 50 शब्दों में ब्यौरा दें।

पिछले वित्त वर्ष में कुल 112 स्टेकहोल्डरों से शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 52 प्रतिशत का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया। मुख्यतः स्थानांतरण एवं पदोन्नति से संबंधित शिकायतें थी तथा वास्तविक शिकायतों पर विचार करने के प्रयास किए गए। पेंशन तथा ग्रेच्युटी जैसी सेटलमैंट देय राशि से संबंधि मामले ईपीएफओ के पास लंबित हैं। सभी अन्य मामले विचाराधीन हैं तथा संतोषजनक रूप से इनके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिद्धांत 2 - व्यापार ऐसा माल तथा सेवाएं प्रदान करें जो कि सुरक्षित तथा अपने जीवन चक्र में टिकाऊ हों।

एमएमटीसी मुख्यतः ट्रेडिंग कारोबार में होने के साथ–साथ स्वर्ण एवं चांदी के विभिन्न मूल्यवर्गों के मडालियन का निर्माण भी करती है। एमएमटीसी जिन उत्पादों में ट्रेड करती है उनकी श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ–साथ बीआईएस के अनुरूप मडालियन के निर्माण को भी सुनिश्चित करती है।

सिद्धांत 3 - व्यापार कर्मचारियों के कल्याण को उन्नठत करने वाला हो।

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं

दिनांक 31.3.2017 को कुल कर्मचारी संख्या 1225 (निदेशक मंडल स्तर के 05 अधिकारियों सहित) है।

2. कृपया अस्थाई/ठेके पर/कैजुअल आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या बताएं।

विभिन्न एजेंसियों/सोसाइटियों से कुल 271 कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं।

3. कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।

कुल स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या 258 है।

4. कृपया विकलांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या बताएं।

विकलांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या 24 है।

5. क्याा आपके संगठन में प्रबंधतंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है।

जी हां

6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का क्या प्रतिशत है।

100 प्रतिशत

7. कृपया पिछले वित्त वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें तथा इस वित्त वर्ष में लम्बित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अनैच्छिक मजदूरी	0	0
2.	यौन उत्पीड़न	0	0
3.	पक्षपाती रोजगार	0	0

8. पिछले वर्ष में आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा व कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया।
   - स्थाई कर्मचारी – 1219* में से 556 अर्थात 45.61 प्रतिशत
   - स्थाई महिला कर्मचारी – 1219 में से 162 अर्थात 13.29 प्रतिशत
   - विकलांग कर्मचारी – 1219 में से 30 अर्थात 2.41 प्रतिशत

*यहां दी गई कुल संख्या में बोर्ड स्तर के 5 कार्यकारी शामिल नहीं है।

सिद्धांत 4 - व्यापार में सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का, विशेषकर उनका जो कि सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन हैं, का सम्मान करते हुए जवाबदेह होना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों को मैप कर लिया है? हां/नहीं

जी हां, अपनी विद्यमानता के वर्षों में संगठन ने स्टेकहोल्डरों के विभिन्न ग्रुपों की पहचान की है तथा संपक्र बनाया है– इनमें कर्मचारी, शेयरधारक जैसे आंतरिक तथा बाह्य ग्राहक, समुदाय आदि जैसे बाह्य स्टेकहोल्डर्स शामिल हैं।

2. उपरोक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है?

जी हां। संगठन ने समुदाय के असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है तथा सीएसआर गतिविधियों द्वारा इनसे संपक्र बनाया है।

3. क्या कंपनी द्वारा सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन

स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं? यदि हां तो इसका पचास या अधिक शब्दों में ब्यौरा दें।

जी हां, संपूर्ण विकास को प्रोन्नत करने के लिए एमएमटीसी द्वारा एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी(विकलांग व्यक्ति) /भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। शिकायतों के पंजीकरण के लिए प्रभाग/क्षेत्रों में समस्या/शिकायत रजिस्टर भी बनाए गए हैं। एससी/एसटी कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों/शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए भी डब्ल्यू डी कर्मचारियों को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जो वे दक्षतापूर्ण तरीके से कर सकें। पहिया कुर्सी(व्हील चेयर) का प्रयोग करने वाले पी डब्ल्यूडी कर्मचारियों के सहज आवागमन के लिए कारपोरेट कार्यालय के मुख्य गेट पर एक स्थाई ढाल रास्ता(रैम्प) बनाया गया है। कार्यालय भवन में मंजिलों की उदघोषण के लिए श्रव्य सूचक है। इनमें से कुछ में मंजिलों के लिए ब्रेल सिम्बल बटन हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रयोग के लिए टूटियों तथा शौचालयों को उनके अनुकूल बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डर्स के अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को नियोजित किया जाता है। स्थानीय सरकारी निकायो तथा क्षेत्रों में कार्यरत एनजीओज़ के सहयोग से ऐसे स्टेकहोल्डर्स के साथ संपक्र किया जाता है।

सिद्धांत 5. व्यापार में मानव अधिकारों का सम्मान तथा इन्हें प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

1. क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या इसमें ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य भी शामिल हैं?

   अभी तक निगम में मानव अधिकारों या कोई विशिष्ट नीति नहीं है। एक सरकारी कंपनी होने के कारण एमएमटीसी भारत के संविधान जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का संकल्प है तथा जिसमें विश्वव्यापी मूल मानवाधिकार घोषणा में निदेशित मानव अधिकार महत्ता भी शामिल है, के प्रति निष्ठावान है। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान कर उनकी सुरक्षा के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध तथा यह सुनिश्चित करती है कि इसके कर्मचारी मूलभूत मानव अधिकार प्राप्त करें। एमएमटीसी में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ''सहायता'' के नाम से 03 स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था है। एमएमटीसी की प्रबंधन व्यवस्था में स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवास तथा शिक्षा के लिए प्रावधान है। इन सभी को सर्वांगीण रूप से सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी में पूरी व्यवस्था है।

2. पिछले वित्त वर्ष में कितने स्टेकहोल्डरों से शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनमें प्रबंधतंत्र द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक निवारण किया गया?

   वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6. व्यापार में पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा इसके पुनः स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्योंकि एमएमटीसी में निर्माण संबंधी कार्यकलाप नहीं हैं अतः यह सिद्ध ांत लागू नहीं होता।

1. क्या नियम 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू होती है या फिर यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओज/अन्य पर भी लागू है?

   संगठन में पर्यावरण पर कोई लिखित नीति नहीं है। तथापि यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट का सदस्य होने के नाते हम पर्यावरणीय रूप से जवाबदेह तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्वि (ग्लोबल वार्मिंग) आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मामलो के समाधान के लिए क्या निगम की रणनीति/पहल है? यदि उत्तर हॉ है तो कृपया वैब पेज आदि के हाईपरलिंक बनाएं।

   यद्यपि विनिर्माण एमएमटीसी की प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है, फिर भी खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जनजाति क्षेत्रों में विकास तथा प्रचालन क्षेत्रों में तथा इसके आस पास पर्यावरण को बनाए रखने के लिए यह प्रतिबद्व है। इसके अतिरिक्त यू एन ग्लोबल काम्पैक्ट के लिए प्रगति पर संचार(सीओपी) द्वारा अपनी विभिन्न पहलों के विषय में संस्थान नियमित रूप से सूचित करता है।

3. क्या कंपनी संभावी पर्यावरण जोखिमों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं

   यद्यपि संगठन सीधे किसी विनिर्माण से नहीं जुडा है, तथापि यह पर्यावरण के प्रति जवाबदेह तरीके से काम करता है। एमएमटीसी लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है। जिसके अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं की पहचान किए जाने के साथ–साथ उनका कार्यान्वयन भी किया जाता है।

4. क्या कंपनी में क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है। यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उसका विवरण दें? इसके अतिरिक्त यदि उत्तर हां है तो यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई है?

   जी नहीं।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा एफीशेंसी, रिन्यूऐबल ऊर्जा आदि पर कोई अन्य कदम उठाए है? हां/नहीं यदि हां तो वेब–पेज आदि का हाइपरलिंक बताएं।

   एमएमटीसी पूरे संगठन में उर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा कुशल स्टार रेटेड उपकरणों का प्रयोग करती है।

   एमएमटीसी ने अपने झंडेवालान में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की छत पर 50 केडब्लयूपी का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है।

6. क्या कंपनी द्वारा रिपोर्ट के इस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न उत्सर्जन/

वेस्टेज इत्यादि सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे हैं?

लागू नहीं।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/वैधानिक नोटिसों की संख्या जो लंबित है(अर्थात् संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए)

लागू नहीं।

सिद्धांत 7. व्यापार यदि पब्लिक तथा नियामक नीति को प्रभावित करता है तो एक जिम्मेदार तरीके से करें।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो कृपया केवल उन्ही मुख्य संघों का उल्लेख करें जिनसे आपके व्यापार का संबंध है

ए. सीआईआई
बी. फिओ(एफआईईओ)
सी. फिक्की
डी. एसोचौम

2. क्या आपने जनकल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत/प्रचार किया है? हां/नही; यदि हां तो मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्राप बॉक्सः सुशासन व प्रशासन, आर्थिक सुधार, विस्तृत विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यापार सिद्धांत, अन्य)।

संगठन ने उपरोक्त संघों के माध्यम से जन कल्याण से संबंधित किसी भी मामले के लिए वकालत/प्रचार नहीं किया है।

सिद्धांत 8. व्यापार को विस्तृत वृद्धि तथा न्यायसंगत विकास को प्रोन्नत करना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों के अनुसरण में कार्यक्रमों/पहल/प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है? यदि हां तो उसका विवरण दें।

यद्यपि उत्पादों के विनिर्माण में संगठन लिप्त नहीं है तथा इसलिए जहां यह कार्य प्रचालित करता है इस वातावरण एवं समाज पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता फिर भी इसकी अपनी सीएसआर नीति है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के सीएसआर नियम तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीएसआर दिशा निर्देशों को भी एमएमटीसी ने अपनाया है। एमएमटीसी में अपनी कमाई के एक भाग को समाज के उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने की एक संरक्षित प्रक्रिया उपलब्ध है। वर्ष 2016–17 के दौरान एमएमटीसी द्वारा आबंटित निधियों को मुख्य रूप से स्वच्छ भारत अभियान क्लीन गंगा मिशन, स्किल इण्डिया मिशन, हैल्थ केयर तथा योग को प्रोन्नोत करने तथा खेल कूद। पैरा स्पोर्टस को प्रोन्नोत करने पर खर्च किया है। इसके अतिरिक्त, एमएमटीसी ने दिव्यांगों में आर्टिफिशियल लिम्ब तथा सहायक उपकरण के वितरण में भी सहयोग दिया है।

2. क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्टस/इन–हाउस टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी स्ट्रक्चर/अन्य किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं?

एमएमटीसी में सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए बोर्ड स्तर की समिति है जिसमें स्वतंत्र निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक के साथ–साथ सहायक कंपनी सचिव सदस्य सचिव हैं। सीएसआर प्रभाग विभिन्न सीएसआर प्रस्तावों का पूरी तरह से आकलन करने के बाद सीएसआर समिति के भेज देता है। सीएसआर समिति द्व ारा विचार करने के बाद प्रस्तावों को निदेशक मण्डल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रोजैक्ट्स के कार्यान्वयन की स्थिति को त्रैमासिक आधार पर सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट किया जाना है वहां के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय को स्वयं ही अथवा निजी/सार्वजनिक भागीदार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन के निदेश दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधि ाकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य यह होता है कि वह प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने के लिए निगरानी रखे तथा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में कारपोरेट कार्यालय को अवगत कराए। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चात इसका एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?

एमएमटीसी द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों के ''सामाजिक प्रभाव'' का मूल्यांकन करने के लिए इसका मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है।

4. सामुदायिक विकास प्रोजेक्टस में आपकी कंपनी का क्या प्रत्यक्ष अंशदान है ? भारतीय रुपयों में राशि तथा किए गए प्रोजेक्टस का ब्यौरा।

एमएमटीसी ने वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए 81.41 लाख रुपए आबंटित किए हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर के लिए आबंटित फंडस का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान क्लीन गंगा मिशन, स्किल इण्डिया मिशन, हैल्थ केयर तथा योग को प्रोन्नोत करने तथा खेल कूद। पैरा स्पोर्टस को प्रोन्नोत करने की गतिविधियों पर खर्च किया है। इसके अतिरिक्त, एमएमटीसी ने दिव्यांगों में आर्टिफिशियल लिम्ब तथा सहायक उपकरण के वितरण में भी सहयोग दिया है।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास की पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है? कृपया पचास या अधिक शब्दों में उल्लेख करें।

एमएमटीसी की सीएसआर पहल अधिकारहीनों विशेषकर महिलाओं, युवकों तथा बच्चों को उनक जीवन स्तर सुधारने वाली गतिविधियों में लगाने वाली समुदाय आधारित संस्थाओं को मजबूत करना चाहती है। एमएमटीसी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओ को पहले एक व्यावसायिक एजेंसी द्वारा की गई आवश्यकता निर्धारण

सर्वेक्षण से चिन्हित किया जाता है तथा स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करने, इन कार्यान्वयन में उन्हें लगाने के साथ–साथ भविष्य की योजनाओं के लिए उनके फीडबैक प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी हम सुनिश्चित करते हैं।

सिद्धांत 9. व्यापार में ग्राहकों तथा उपभोक्तओं से संपर्क कर तथा उन्हे महत्व देते हुए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहकों की शिकायतें/उपभोगताओं के मामले लम्बित हैं।**

   रिपोर्ट की गई अवधि में उक्त प्रकृति की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

2. **स्थानीय कानूनों के अनुसार दी जाने वाली वैधानिक सूचना के अतिरिक्त भी क्या कंपनी अपने उत्पाद के लेबल पर उत्पाद से संबंधी सूचना छापती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

   कंपनी सिल्वर व गोल्ड मेडालियन तथा सांची ब्रांड नाम से सिल्वर मेडालियन तथा सिल्वरवेयर की खुदरा (रिटेल) बिक्री करती है। इन वस्तुओं की पैकेजिंग पर संबंधित उत्पाद सूचना दी गई होती है। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं पर बार कोडिंग भी हैं।

3. **क्या कंपनी के विरूद्ध किसी स्टेकहोल्डर ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा/अथवा गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए पिछले पांच वर्षो में कोई शिकायत की है तथा जो इस वर्ष में भी लम्बित है? यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उत्तर दें।**

   कोलकाता तथा नई दिल्ली में दो मामले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स डिस्प्यूटस रिड्रेसल फोरम में लम्बित है।

4. **क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि रूझान किया है?**

   जी हां। फीडबैक तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से "कस्टमर मीट" आयोजित की जाती है। फैस्टिवल ऑफ गोल्ड (मई 2016 तथा अक्तूबर 2016) के दौरान भी उपभोक्ता फीड बैक ली गई है। ऐसे फीड बैक संगठन को भविष्य में भावी आयोजनों को और अधिक संतोषजनक रूप से करने में सहायक रही है।